

४८६७

## मध्यप्रदेश शासन

### उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

॥ आदेश ॥

भोपाल दिनांक ०६/०४.२०१८

P. Aliya  
५.४.२०१८

क्र. एफ १६-०२/२०१८/ए-ज्यारह; राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि नाहर ग्रुप द्वारा ₹ ५०८.०० करोड के पूँजी निवेश से मंडीदीप जिला रायसेन में स्पिनिंग, पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ में कपड़ा निर्माण एवं मंडीदीप जिला रायसेन में पॉली फिल्म की स्थापना संबंधी प्रस्ताव : इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट क्रमांक CIE-14262 मेरसर्स नाहर पॉली फिल्म लिमि. द्वारा ग्राम सरकिया/इटायाकला मण्डीदीप के पास, जिला रायसेन में ₹ २४३.०० करोड के पूँजी निवेश से बी.ओ.पी.पी. फिल्म निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार विशेष सुविधाएँ दी जावे:-

- स्टांप इयूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति - परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समूह के आधिपत्य की भूमि हेतु नाहर समूह द्वारा प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ भर्जर/ एकवीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत पर देय स्टांप इयूटी, पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावेगी।
- स्थापित कनेक्शन से विद्युत सप्लाई- पूर्व स्थापित इकाई के १३२ केव्ही कनेक्शन से नवीन इकाई हेतु सब मीटर से विद्युत सप्लाई की अनुमति।
- विद्युत शुल्क से छूट - परियोजना अन्तर्गत ३३ के.व्ही. अथवा १३२ के.व्ही. अथवा २२० के.व्ही. विद्युत भार पर १० वर्षों के लिये विद्युत शुल्क से छूट।
- विद्युत टेरिफ में रियायत - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से ५० वर्षों हेतु ₹ ५/- प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत उपलब्ध करायी जावे, परन्तु यह रियायत ३१ मार्च, २०२७ के पश्चात् देय नहीं होगी। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी।
- निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग संवर्धन नीति २०१४(यथा संशोधित २०१७) प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता ७ वर्षों के लिए शर्तों के अध्याधीन।
- नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति - परियोजना निर्माण अवधि में निर्माण सामग्री पर राज्य को प्राप्त नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति।

निरंतर.....

// 2 //

7. हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता- उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन 50% पूजी अनुदान अधिकतम रूपये 25 लाख होगी।
8. अधोसंरचना विकास अनुदान - उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन अधोसंरचना विकास अनुदान।
9. प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति - परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रेकट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50% देतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रूपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति सभी 7 निवेश परियोजनाओं को मिलाकर की जा सकेगी। यह सहायता इन 7 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु ही देय होगी।
10. परियोजना को स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावे।
11. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

// 3 //

पृष्ठमांक एफ 16-02/2018/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04.2018

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन; वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट कैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल।
7. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स नाहर पॉली फिल्म्स लिमि. 373, इण्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना-141003 (पंजाब)  
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उष्ण सचिव

मध्यप्रदेश शासन/  
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग